

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 316244 /

पटना, दिनांक 05/07/17

ग्रा0वि0-6/अभि0-03-13/2017

प्रेषक,

कनक बाला,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
पूर्वी चंपारण ।

विषय:- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु मार्गदर्शन के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-315690 दिनांक-29.06.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र का कृपया निदेश किया जाय। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के रिक्त पदों को भरने के संदर्भ में सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त करने हेतु विभागीय पत्रांक-135853 दिनांक-17.01.2013 के एवं पत्रांक-161083 दिनांक-27.08.2013 द्वारा समुचित निर्णय से सभी उप विकास आयुक्त को अवगत कराया जा चुका है । सुलभ प्रसंग हेतु उक्त प्रेषित पत्रों की छायाप्रतियाँ पुनः संलग्न है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त दिशानिर्देशों के तहत पत्रांक-161083 दिनांक-27.08.2013 के आलोक में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई शीघ्र की जाय ।

अनुलग्नक- यथोक्त ।

विश्वासभाजन



(कनक बाला)

विशेष कार्य पदाधिकारी

जापांक 316244 /

पटना, दिनांक 05/07/17

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी

16

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 161083

पटना, दिनांक 27/08/13

सं०सं० गा०वि०-4 गा०अभि०-16 09/2011

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी (भा०प्र०से०),
आयुक्त, स्वरोजगार ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।


विषय:- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त संदर्भ में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा लेते समय निम्न कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

1. DRDA के जिन कर्मियों को सेवानिवृत्त Pension (पेंशन) देय नहीं है, उन की सेवायें लेते समय उन्हें प्राप्त अन्तिम वेतन के समतुल्य राशि मासिक मानदेय के रूप में भुगतान, इस पर DRDA की कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त कर, किया जा सकता है ।
2. रिक्तियों के अंतर्गत ही सेवानिवृत्त कर्मी रखे जायेंगे ।
3. आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा ।
4. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं०- 2804 दिनांक- 29.03.2010 की अन्य शर्तें मान्य होगी ।

विश्वासभाजन


(अरविन्द कुमार चौधरी)
आयुक्त, स्वरोजगार

(4)

(8)

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 135853 /
ग्रा0वि0-4-गो0अभि0-16-09/2011

पटना, दिनांक 17.01.13

प्रेषक,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय: डी0आर0डी0ए0 में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर सेवा निवृत्त कर्मियों की सेवा लेने पर विभाग की सहमति के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में कहना है कि दिनांक 17.01.2013 की राज्य स्तरीय बैठक में उप आयुक्तों द्वारा बताया गया की डी0आर0डी0ए0 में सेवा निवृत्त अथवा अन्य कारणों से पदों के रिक्त रहने के कारण कार्य को सुगमता पूर्वक संचालन करने में कठिनाइयाँ होने की समस्या बतायी गई है ।

इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा निम्न निर्णय लिया गया -

1. डी0आर0डी0ए0 के कुल स्वीकृत पद की गणना कर ली जाय ।
2. डी0आर0डी0ए0 में स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पदों की भी गणना कर ली जाय ।

अनुरोध है कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र सं0- 2401 दिनांक- 18.07.2007 में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर सेवा निवृत्त कर्मियों की सेवा अभिकरणों में लेने हेतु अपने स्तर से कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाये । इस प्रक्रिया का अनुसरण कर डी0आर0डी0ए0 की सभी रिक्तियों को एक माह के अन्दर भरने की कार्रवाई की जाय ।

इसका व्यय भार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, प्रशासन मद से किया जायेगा ।

17.1.13
सचिव

ग्रामीण विकास विभाग